न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–484/2026
Computer Registration No–988/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1002765–2026

1. **खुर्शीद आलम** आयु करीब 30 साल सुत नियाज अहमद निवासी ग्राम पारा, थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–152/2026
धारा– 3/5 क, 5 ख/8 गो०नि०अधि०
थाना–तारून, जिला अयोध्या।

जमानत आदेश

1. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, अयोध्या द्वारा मु.अ.सं.–152/2026 अंतर्गत धारा– 3/5(क)/5(ख)/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना तारून, जनपद अयोध्या के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **खुर्शीद आलम** का जमानत आवेदन पत्र आदेश दिनांकित–07.05.2026 के माध्यम से निरस्त करने के उपरांत आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र सत्र न्यायाधीश अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त कराया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो श्रीमान जी के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है न निरस्त हुआ है। वह निर्दोष है महज मुकदमा थाना उपरोक्त की पुलिस हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त मुकदमा मे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी के मुकदमे में पुलिस पार्टी वादी तथा पुलिस पार्टी गवाह है तथा जनता का कोई गवाह नही है। प्रार्थी के मुकदमे मे दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है। उक्त मुकदमे मे केवल 3 राशि गोवंशीय पशुओं को ले जाना बताया गया है जो किसी अपराध की श्रेणी में नही आता है। मुकदमे में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई दोषसिद्ध का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 05.05.2026 से जेल में बंद है। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

3. वादी मुकदमा उ०नि० रितेश सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 152/2026 दिनांक 05.05.2026 को समय 02.17 बजे पंजीकृत किया गया। तहरीर के अनुसार मुखबिर खास ने सूचना दिया कि ग्राम धौरहरा कुटी के उत्तर तरफ शीशम के बाग मे एक पिकप महिन्द्रा की गाड़ी मे कुछ लोग गौवंशी पशु लाद रहे हैं और एक सफेद रंग की होण्डा WRV गाड़ी सड़क पर ही रैकी कर रहा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर रोड के किनारे एक सफेद रंग की होण्डा wrv जिसका नम्बर UP32MV3034 है, का ड्राइवर हम पुलिस वालों को देखते ही भाग गया। गाडी की तलाशी पर एक अदद HONOR मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल व wrv को कब्जे पुलिस लेकर धीरे धीरे जहां गौवंशी पशुओं को मारकर पिकप गाड़ी पर 5–6 व्यक्ति लाद रहे थे। टार्च की रोशनी मे सभी व्यक्ति भाग निकले एक व्यक्ति गाड़ी पर मौजूद मिला जिसका नाम पूछने पर खुर्शीद आलम बताया, उसके पास से पांच पांच सौ के दो नोट तथा एक छोटी मोबाइल(नोकिया) तथा एक बड़ी मोबाइल (रेडमी) मिली तथा पिकप महिन्द्रा की तलाशी ली गई तो दो मोबाइल vivo व realme बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से भागे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर राजेश यादव, झिनकान, कामरान, राकेश वर्मा, बबलू बताया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि बबलू UP32MV3034 व WRV से रैकी करके पशुओं को लादने

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.06.03 17:18:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आया था। पकड़े गये व्यक्ति से गौवंशी पशुओं के संबंध में पूछा तो बताया कि राकेश वर्मा, राजेश, झिनकान यह निवासी है इन लोगों द्वारा गौवंशी पशुओ को इकट्ठा करके चोरी छिपे बांधकर फिर हम लोगों को बेच देते हैं। इन पशुओ का वध करके इनका मांस बेच देते है।

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है जो बरामदगी दिखाई गई है वह पुलिस द्वारा फर्जी दिखाई गई है। वादी मुकदमा तथा विवेचक द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि प्रार्थी गायों को प्रदेश से बाहर कहां ले जा रहा था इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है। गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर परिवहन प्रतिबंधित नही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को संबंधित पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का कारण मौखिक अथवा लिखित रूप में नहीं बताया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के विरूद्ध है तथा धारा 47 बी.एन.एस.एस. के प्राविधान का उल्लंघन है। प्रार्थी /अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा घटनास्थल से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त पर इस मुकदमे के अतिरिक्त चार अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा अभियोजन प्रपत्रो का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 04.05.2026 को संबंधित थाने की पुलिस द्वारा उस समय की गई जब वह सहअभियुक्तगण के साथ शीशम के बाग मे गोवंशी पशु लाद रहा था तथा एक सफेद रंग की होण्डा डब्लू आर बी गाड़ी सड़क पर रेकी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा जिसे देख करके अभियुक्त के अतिरिक्त शेष अभियुक्त भाग गये थे। रात्रि का समय होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिला। धारा 105 बी.एन.एस.एस. तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का गिरफ्तारी के दौरान अनुपालन किया गया। धारा 47 बी.एन.एस.एस., तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना देने का कोई अंकन नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंकज बंसल बनाम यूनियन आफ इंडिया 2025 तथा मिहिर राजेश शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मे दिये गये निर्देशो का अनुपालन नहीं किया गया है जो अनुच्छेद 22 तथा 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। संबंधित थाने की पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि रात का समय होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सका। अभियुक्त बिना परमिट लाइसेन्स के अवैध रूप से गोवध हेतु गोवंशीय पशुओं का परिवहन कर रहा था। अभियुक्त के पास से गोवध मे प्रयुक्त होने वाले किसी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। फर्द बरामदगी पर जनता के किसी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। रात्रि का समय नहीं बताया गया है। बरामद पशुओं को राज्य से बाहर परिवहन किये जाने का कोई कथन अथवा साक्ष्य नहीं है। पुलिस द्वारा दी गई आख्या मे अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है परन्तु केस डायरी के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास बताया गया है जो इस प्रकार है–

1–अपराध संख्याः– 222/2015 धारा 3/5 क/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना बरदह आजमगढ़

2–अपराध संख्याः– 164/2021 धारा 332, 352, 353, 504 भा०दं०सं० थाना सिधारी आजमगढ़

3–अपराध संख्याः– 224/2013 धारा 379 भा०दं०सं० थाना तहबरपुर आजमगढ़

4–अपराध संख्याः–802/2011 धारा 3/5 क/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना खुट्टन जौनपुर

परन्तु किसी भी मामले मे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं है। अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **खुर्शीद आलम** द्वारामु.अ.सं.–152/2026 अंतर्गत धारा–3/5(क)/5(ख)/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना तारून, जनपद अयोध्या में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो – दो प्रतिभूगण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O. CODE– UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–3, अयोध्या

दिनांक–03.06.2026